कार्यालय वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ0प्र0, बाँदा

पत्रांक 5497 /331 / दिनांकः बाँदाः : मई 28, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ ।

विषयः– जनपद–महोबा में बाँदा–झाँसी मार्ग (मिर्जापुर–झाँसी मार्ग) राष्ट्रीय मार्ग–76 (नया एन0एच–34) के किमी0 संख्या–175 (**CH-174.365**) के मध्य बायी पटरी के ग्राम–कबरई गाटा संख्या–1604 पर विकसित किये जा रहे रिलाइन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.28581 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं 05 वृक्षों के पातन प्रपोजल संख्या–**FP/UP/Others/30182/2017** के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–3098 / 11–सी–**FP/UP/Others/30182/2017**, दिनांक 08.05.2018 एवं प्रभागीय वनाधिकारी महोबा का पत्रांक–7248 / 33–1 दिनांक 26.05.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित एवं प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा को सम्बोधित है, के द्वारा प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/30182/2017 में बिन्दु संख्या–1 से 22 तक आपत्ति लगाई गई है, जिनका निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी महोबा द्वारा कर दिया है। आपके द्वारा लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	टिप्पणी	अनुपालन
1	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, किन्तु प्रमाण–पत्र में दायी तरफ का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य प्रमाण–पत्रों में बांयी तरफ का उल्लेख है। अतः इस स्थिति को स्पष्ट कर उचित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	अपेक्षित सुधार किया गया।
2	पृष्ठ संख्या–29 पर संलग्न Area Calculation पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर किये गये।
3	प्रस्तावित परियोजना वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन नोट) प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	औचित्य प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया।
4	वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी संयुक्त मानक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रतिहस्ताक्षरित किया गया।
5	प्रस्तावित वनभूमि का Geo Refferenced Digital Map संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा उक्त के अतिरिक्त के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है।	हस्ताक्षर अंकित किये गये तथा सी0डी0 संलग्न की गई।
6	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों के स्थान पर केवल 10 पौधों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है, जो कि अपूर्ण है। अतः 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड़ करें।	100 पौधों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न किया गया तथा ऑन लाईन अपलोड किया गया।
7	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया।
8	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है तथा प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी अंकित नही है।	निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया तथा प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित किये गये।
9	प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया।
10	एन0पी0वी0 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी के उपरान्त बढ़ी धनराशि के जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिस्ताक्षरित नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया।

क्र0 सं0	टिप्पणी	अनुपालन
11	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	हस्ताक्षर अंकित किये गये।
12	भू–स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार अनुमोदित ले आउट प्लान संलग्न नहीं है।	अनुमोदित ले–आउट प्लान संलग्न किया गया।
13	भारत सरकार के पत्रांक–एफ0नं0–11–268/2014–एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या/प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया।
14	वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने का प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	हस्ताक्षर अंकित किये गये।
15	गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	हस्ताक्षर अंकित किये गये।
16	परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में विजय सागर वन्य जीव बिहार स्थित होने का उल्लेख है। अतः यदि प्रस्तावित स्थल Eco Senctive Zone की परिधि के अन्दर स्थित है तो राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए पावती सहित एक प्रति प्रस्ताव में संलग्न करें तथा यदि प्रस्तावित स्थल Eco Senctive Zone की परिधि के बाहर है तो इसकी आवश्यकता नहीं है।	रिटेल आउटेट, अल्प प्रदूषणकारी ग्रीन कटेगरी उद्योगों में सूचीबद्ध होने के कारण इसके पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम–1980 के दिशा–निर्देशों के अनुसार ऐसे उद्योगों के Eco Senctive Zone में स्थित होने के बावजूद वन्य जीव मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
17	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रतिहस्ताक्षरित किया गया।
18	प्रस्ताव की हार्ड कापी भाग–2 के क्रमांक–7(9) में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः आनलाइन के अनुसार उचित विवरण अंकित करें।	ऑन लाईन के अनुसार विवरण अंकित किया गया।
19	प्रस्ताव की हार्ड कापी भाग–2 के क्रमांक–10(4) में प्रतिपूरक स्कीम के लिए वित्तीय परिव्यय त्रुटिपूर्ण अंकित की गयी है।	वित्तीय परिव्यय संशोधित किया गया।
20	प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्रों की कही पर दायी पटरी, कहीं पर बांयी पटरी एवं कहीं–कहीं पर RHS एवं बायी पटरी अंकित किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान उचित विवरण सभी प्रमाण–पत्रों में अंकित करें।	सभी प्रमाण–पत्रों में एक समान विवरण अंकित किया गया।
21	प्रस्ताव में संलग्न पृष्ठ संख्या–44, 52, 54 एवं अन्य अधिकांश प्रमाण–पत्रों पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रमाण–पत्रों पर हस्ताक्षर अंकित किये गये।
22	प्रभागीय वनाधिकारी के संस्तुति का हिन्दी वर्जन का भाग–2 एवं वन संरक्षक के संस्तुति का हिन्दी वर्जन का भाग–3 आनलाइन अपलोड नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी के संस्तुति का हिन्दी वर्जन का भाग–2 ऑनलाइन अपलोड किया गया।

अतः संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ मूल में ऑन लाइन एवं हार्ड कॉपी में संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार 03 मूल प्रतियों में।

भवदीय

(भीमसेन)
वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक ।

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग को पत्र सं0–7248/33–1 दिनांक 26.05.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीमसेन)
वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा